आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :मछली शहर
वाद संख्या :-01094/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914360301094
रामबरन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

मैने वादी के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों पर विचार किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत अनुशीलन किया। संक्षिप्त में विवाद का स्वरूप इसप्रकार है कि प्रस्तुत वाद श्री रामबरन सिंह शिक्षण संस्थान चोरहा बरईपार, जौनपुर द्वारा सरकार आदि को प्रतिवादी बनाते हुए गाटा सं0 19/0.352 स्थित ग्राम चोरहा, परगना घिसुआ, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर में से 0.251हे0 अकृषिक घोषित किये जाने हेतु धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार मछलीशहर से नियमानुसार आख्या आहूत किया गया, जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है।

हल्का लेखपाल द्वारा आख्या दिनांक 15.3.2019 में स्पष्ट किया गया है कि वादी द्वारा ग्राम चोरहा की खतौनी वर्ष 1423–1428फ0 की खाता सं0 420 की गाटा सं0 19/0.352हे0 में से आंशिक क्षेत्रफल 0.251 में विद्यालय निर्मित है, जिसे गैर कृषिक घोषित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका मुल्यांकन 100400.00 है। वादी विवादित गाटा का संक्रमणीय भूमिधर है। वादी के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार सहमत है, उनका शपथ–पत्र संलग्न है, विवादित गाटा के सम्बंध में कोई वाद विचाराधीन नही है, निषेधाज्ञा प्रभावी नही है, महायोजना के अन्तर्गत नही है, विवादित गाटा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि नही है। हल्का लेखपाल द्वारा गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.3.2019 को खातेदारो की उपस्थिति में मौके पर जाँच किया गया, जिसके सम्बंध में आख्या दिनांक 15.3.2019 उपलब्ध कराया गया। तहसीलदार मछलीशहर द्वारा जाँच आख्या दिनांक 23.3.2019 द्वारा विवादित गाटा गैर–कृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार मछलीशहर द्वारा विवादित गाटा गैर–कृषिक प्रयोग के लिए घोषण की संस्तुति की गयी है। निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु उपनिबन्धक मछलीशहर, जौनपुर से आख्या प्राप्त किया गया, उपनिबन्धक ने अपने पत्र सं0 36/उ0नि0म0शहर/2019 दिनांक 22.2.2019 में स्पष्ट किया है कि विवादित गाटा सं0 19/0.251 का मुल्यांकन मु0 10.04.000–00 रू0 होता है। नियमानुसार उक्त मुल्यांकन का 1 प्रतिशत मु0 10040–00 होता है, जो वादी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान द्वारा दिनांक 25.2.2019 को जमा किया गया है। इसप्रकार तहसीलदार की आख्या एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि विवादित गाटा में विद्यालय बना हुआ है, जिसे गैर–कृषिक प्रयोग में घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है और वादी द्वारा निर्धारित शुल्क सम्बंधित लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार की आख्यानुसार

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :मछली शहर
वाद संख्या :-01094/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2019143603010 94
रामबरन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

विवादित गाटा का गैर–कृषिक प्रयोजन घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर ग्राम चोरहा, परगना घिसुआ, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर की खतौनी वर्ष 1423–1428फ0 की खाता सं0 420 की गाटा सं0 19/0.352 हे0 में से 0.251हे0 कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त गैर कृषिक/व्यवसायिक घोषित किया जाता है। मुताबिक परता लगान निरस्त हो। यदि विवादित गाटा के भौमिक स्थिति के सम्बंध में इसके विपरीत कोई तथ्य पाया जाता है तो, यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। आदेश की अभिप्रमाणित प्रति तहसीलदार/उपनिबंधक मछलीशहर को आवश्यक कार्यवाही/अभिलेखों में प्रख्यापन हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

01/04/19

ज्वाईंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
मछलीशहर, जौनपुर।

438

[illegible] ০১/৪/১৯ ই.নং T ২০১৯১৭৩৬০৩২১০৯৫ [illegible] ৪০ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ০১/৪/১৯ ইং

[illegible]

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :मछली शहर
वाद संख्या :-01095/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914360301095
रामबरन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

मैने वादी के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों पर विचार किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत अनुशीलन किया। संक्षिप्त में विवाद का स्वरूप इसप्रकार है कि प्रस्तुत वाद शशिकान्त सिंह, प्रबन्धक श्री रामबरन सिंह शिक्षण संस्थान चोरहा, जौनपुर द्वारा सरकार आदि को प्रतिवादी बनाते हुए गाटा सं0 488/0.733 में से0 0.482, गाटा सं0 481/0.753 में से0.105 हे0 स्थित ग्राम सकरा, परगना घिसुआ, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार मछलीशहर से नियमानुसार आख्या आहूत किया गया, जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है।

हल्का लेखपाल द्वारा आख्या दिनांक 14.3.2019 में स्पष्ट किया गया है कि वादी द्वारा ग्राम सकरा, परगना घिसुआ, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर की खतौनी वर्ष 1426–1431 फ0 की खाता सं0 134 की गाटा सं0 488/0.733 में से आंशिक क्षेत्रफल 0.482 हे0 में एवं खाता सं0 133 की गाटा सं0 481/0.753 में से आंशिक क्षेत्रफल 0.105 हे0 में विद्यालय निर्मित है, जिसे गैर कृषिक घोषित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका मुल्यांकन 19,96,000.00 है। वादी विवादित गाटा का संक्रमणीय भूमिधर है। वादी के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार सहमत है, उनका शपथ–पत्र संलग्न है, विवादित गाटा के सम्बंध में कोई वाद विचाराधीन नही है, निषेधाज्ञा प्रभावी नही है, महायोजना के अन्तर्गत नही है, विवादित गाटा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि नही है। हल्का लेखपाल द्वारा गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.3.2019 को मौके पर सहखातेदारो की उपस्थिति में किया गया, जिसके सम्बंध में आख्या दिनांक 15.3.2019 उपलब्ध कराया गया। तहसीलदार मछलीशहर द्वारा जॉच आख्या दिनांक 23.3.2019 द्वारा विवादित गाटा गैर–कृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार मछलीशहर द्वारा विवादित गाटा गैर–कृषिक प्रयोग के लिए घोषण की संस्तुति की गयी है। निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु उपनिबन्धक मछलीशहर, जौनपुर से आख्या प्राप्त किया गया, उपनिबन्धक ने अपने पत्र सं0 35/उ0नि0म0शहर/2019 दिनांक 22.2.2019 में स्पष्ट किया है कि गाटा सं0 488/0.482हे0, 481/0.105हे0, कुल 0.587हे0 का मुल्यांकन मु0 19,96,000–00 रू0 होता है। नियमानुसार उक्त मुल्यांकन का 1 प्रतिशत मु0 19960–00 होता है, जो वादी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान द्वारा दिनांक 25.2.2019 को जमा किया गया है। इसप्रकार तहसीलदार की आख्या एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि विवादित गाटा में विद्यालय बना हुआ है, जिसे गैर–कृषिक

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :मछली शहर
वाद संख्या :-01095/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914360301095
रामबरन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रयोग में घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है और वादी द्वारा निर्धारित शुल्क सम्बधित लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार की आख्यानुसार विवादित गाटा को गैर–कृषिक प्रयोजन घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर ग्राम सकरा, परगना घिसुआ, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर की खतौनी वर्ष 1426–1431 फ0 की खाता सं0 134 की गाटा सं0 488/0.733 में से आंशिक क्षेत्रफल 0.482 हे0 एवं खाता सं0 133 की गाटा सं0 481/0.753 में से आंशिक क्षेत्रफल 0.105 हे0 कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त गैर कृषिक/व्यवसायिक घोषित किया जाता है। मुताबिक परता लगान निरस्त हो। यदि विवादित गाटो के भौमिक स्थिति के सम्बंध में इसके विपरीत कोई तथ्य पाया जाता है तो, यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। आदेश की अभिप्रमाणित प्रति तहसीलदार/उपनिबंधक मछलीशहर को आवश्यक कार्यवाही/ अभिलेखों में प्रख्यापन हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0 /04/19

ज्वाईंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
मछलीशहर, जौनपुर।

437
01/4/19

01/4/19

01/4/19
दाखिल

सत्य प्रतिलिपि
SDO